मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल 462003 (म.प्र.) भारत
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)
Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal 462003(M.P.)India
(An Institution of National Importance, under Ministry of Education, Govt. of India)

क्रमांक / राजभाषा / 2022 / स्था. / 434   दिनांक : 20.07.2022

// परिपत्र //

भारत शासन की राजभाषा नीति के अनुपालन में संस्थान में राजभाषा समिति की बैठक दिनांक 28.06.2022 को अधिष्ठाता सभा कक्ष में आयोजित की गई थी। सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित निर्णय (कार्यवृत्त) की प्रति संलग्न है। कृपया सभी शैक्षिक व गैर शैक्षिक अधिकारी / कर्मचारी राजभाषा से संबंधित लिए गये निर्णयों का पालन सुनिश्चित करें।

संलग्न : कार्यवृत्त।

गौरव द्विवेदी 20/07/22
संयोजक राजभाषा समिति

प्रतिलिपि:

1. समस्त अधिष्ठाता।
2. समस्त विभागाध्यक्ष।
3. अनुभागीय अधिकारी।
4. प्रभारी, वेबसाइट- अपलोड हेतु।
5. निज सहायक कुलसचिव, कुलसचिव महोदय को सूचनार्थ।
6. निज सहायक निदेशक, निदेशक महोदय को सूचनार्थ।

मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल

क्रमांक / ए.बी. / 2022 / स्था. / राजभाषा /

दिनांक : / /2022

// कार्यवृत्त //

संस्थान में भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन एवं कार्य के क्रियान्वयन के संबध में संस्थान हिन्दी राजभाषा समिति की दिनांक 28.06.2022 को बैठक हुई जिसमें 13 सदस्य उपस्थित थे। समिति द्वारा की गई चर्चा में निम्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श कर निष्कर्ष पर पहुंचा गया है जिन पर राजभाषा नीति के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित है : –

1. संस्थान राजभाषा समिति द्वारा इस तिमाही (01 जुलाई से 30 सितम्बर) में दो कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना अनुशंसित है।

2. संस्थान में किये जा रहे हिन्दी में कार्यालयीन कार्य की सहायता के लिए 30 की संख्या में हिन्दी ग्रंथावली हिन्दी भवन भोपाल से मंगवाई जानी अनुशंसित है।

3. हिन्दी में कार्य को बढावा देने के लिए एक परिपत्र परिचालित करना है जिसमें कुछ अंग्रेजी के वाक्यांशों का हिन्दी में रूपांतरण होना चाहिए।

4. ''स्माईल ई.आर.पी.'' सॉफ्टवेयर के सारे प्रभागों को हिन्दी में भी कार्यकुशल किये जाने का प्रयत्न होना चाहिए।

5. वार्षिक पत्रिका का हिन्दी में प्रकाशन किया जाना है। यह ''ई–मेग्जीन'' भी हो सकती है।

6. छात्रावासों की नियमावली को हिन्दी में छपवाना समिति द्वारा अनुशंसित है।

7. संस्थान का राजभाषा नियम के अनुसार (क) क्षेत्र में होने के कारण संस्थान में पत्राचार एवं टिप्पणी लेखन आदि का कार्य 100 प्रतिशत हिन्दी भाषा में किया जाना होता है। संस्थान में इस नियम का पालन पूर्ण रूप से किये जाने की अवश्यकता है। अतः समिति अनुशंसा करती है कि पुनः सभी को निर्देशित किया जावे की समस्त

विभागीय/अनुभागीय पत्राचार हिन्दी में करने का प्रयास करें एवं बाहर से आये अंग्रेजी के पत्रों का जवाब हिन्दी में देने का प्रयास करें।

संस्थान के समस्त विभागाध्यक्ष/अनुभाग/शाखा प्रमुख से अनुरोध है कि वे अपने-अपने विभाग से संबंधित हिन्दी के कार्य के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि बैठक में लिए गए निर्णयों का पालन किया जा सके एवं की गई कार्य की जानकारी से संस्थान राजभाषा प्रकोष्ठ को भी प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे समय समय पर गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जानकारी चाहे जाने पर उन्हे भी सूचित किया जा सके।

उप-कुलसचिव (स्था.)
संयोजक, राजभाषा

डॉ. सविता दीक्षित,
विभागाध्यक्ष, रसायन विज्ञान विभाग एवं
परामर्शदाता, राजभाषा

कुल-सचिव
उपाध्यक्ष राजभाषा

निदेशक
अध्यक्ष राजभाषा